



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार – 249404

संख्या: 387/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

### विज्ञप्ति

### API मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान (Physics)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान (Physics) विषय के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 03 जून, 2024 को प्रसारित किया गया तथा अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को दिनांक 18 जून, 2024 तक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 17 जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के चतुर्थ संशोधन-2016 के नियम-05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान (Physics) विषय में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अनुसार शार्टलिस्ट किया जाता है:-

श्रेणी	संशोधित कट ऑफ	अनुक्रमांक		
(1)	(2)	(3)		
अनारक्षित (UR)	95	514639	514861	514939
		514955	515054	515221

**नोट:-** UR में शार्टलिस्ट अभ्यर्थी अनुक्रमांक 514861 द्वारा संशोधित कट ऑफ में स्थान धारित करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अर्ह घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराये जा चुके हैं, अतः विज्ञप्ति संख्या 386, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के क्रम में पुनः अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने हैं।

उपरोक्तानुसार शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से अभिलेख प्रेषित करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक, 15 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तदपश्चात् अभ्यर्थियों के किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।